बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–.....

संख्या– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 16/2024.....पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कार्यरत कुल 31 भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा डा॰ विनोद कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध अमर्यादित आचरण, असंसदीय एवं अभ्रद भाषा का प्रयोग करने आरोप लगाया गया। उक्त आरोपों की प्रारंभिक जाँच अपर निदेशक, (पशु उत्पाद) पशुपालन निदेशालय से कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रथम द्रष्टयता आरोप को सही प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर डा॰ कुमार के विरूद्ध निम्न आरोप के लिए आरोप–पत्र गठित किया गया :–

(i) पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत विभिन्न पशु चिकित्सालयों में कार्यरत कुछ पशु चिकित्सकों एवं कर्मियों का अगस्त 2024 एवं सितम्बर 2024 का वेतन अवरूद्ध करने का आरोप।

(ii) कुछ अराजपत्रित कर्मियों को निदेशक, पशुपालन के पूर्वानुमति के बिना दूसरे कार्यालयों में कार्यभारित/प्रतिनियुक्त करने का आरोप।

(iii) कुछ पशु चिकित्सकों एवं पशुपालकों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप।

3. उक्त गठित आरोप–पत्र के संदर्भ में डा॰ कुमार से स्पष्टीकरण की मांग विभागीय पत्रांक 255 नि॰गो॰, दिनांक 13.06.2025 द्वारा की गयी। उक्त आलोक में डा॰ कुमार द्वारा पत्रांक 1595 मोतिहारी, दिनांक 26.06.2025 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें अंकित तथ्य निम्नवत है :–

(i) आरोप संख्या 2(i) के संबंध में डा॰ कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि वे जिला के सभी पशु चिकित्सालयों का समय–समय पर औचक निरीक्षण करते रहे, जिसमें उनके द्वारा यह पाया कि अधिकतर पशु चिकित्सक अपने कार्य स्थल से अनुपस्थित रहते है एवं स्पष्टीकरण पूछने पर पशु चिकित्सकों से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। जिस वजह से उक्त सभी पशु चिकित्सकों का वेतन उक्त तिथियों का अवरूद्ध किया जाता था। बाद मे अवरूद्ध वेतन का भुगतान इस शर्त्त पर कर दिया जाता था कि अब वे सभी अपने कार्य स्थल पर उपस्थित रह कर कार्य करेंगे।

(ii) चतुर्थवर्गीय कर्मियों के कार्य भारित करने संबंधी आरोप संख्या 2(ii) के संबंध में डा॰ कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि जिला पशुपालन कार्यालय, मोतिहारी में मात्र एक कार्यालय परिचारी पदस्थापित है और विभागीय कार्यो की अधिकता जैसे समय–समय पर टीकौषधि का वितरण, पशु औषधालयों का वितरण एवं एम्बुलेट्री भान के परिचालन के लिये अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता पड़ती रहती हैं। अगर वे इस संबंध में निदेशक, पशुपालन महोदय से पत्राचार करते तो कोई भी कार्य ससमय संपन्न नहीं हो पाता। उनका कहना है कि पशुपालन विभाग के द्वारा पशु चिकित्सा कार्यों के अलावे पशु बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोगों के उन्मूलन के लिये समय–समय पर टीकाकरण कार्य भी चलाये जाते है, एवं विभाग के द्वारा समेकित भेड़ एवं बकरी विकास एवं समेकित मुर्गीपालन योजनाएँ चलाई जाती है, जो कि पशु चिकित्सकों के उपस्थित रहने पर ही संभव है ।

(iii) आरोप संख्या 2(iii) के संबंध में डा॰ कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उनका कहना है कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर किसी पशु चिकित्सकों के साथ कोई अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। कार्य को संपन्न कराने एवं कार्य में तेजी लाने हेतु कुछ कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ता था, जो कि काम काज की सामान्य प्रकिया है।

पशुपालक से गाली–गलौज के प्रश्न पर डा॰ कुमार का कहना है कि किसी भी पशुपालक से जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ कोई संर्पक नही होता, उनका संर्पक सिर्फ क्षेत्र में पदस्थापित पशु चिकित्सक से ही होता है। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि अरेराज एक अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय है, जो पिछले तीन वर्षो से रिक्त चल रहा है। उक्त अस्पताल के संचालन हेतु सप्ताह में तीन दिन डा॰ जमीरूदीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मच्छरगाँवा को कार्यभारित किया गया है एवं तीन दिन डा॰ श्रीराम, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विशुनपुर मटियरवा को कार्यभारित कर उक्त पशु चिकित्सालय का कार्य संचालित किया जाता है। उसी कम में डा॰ श्रीराम जिस दिन अरेराज पशु चिकित्सालय में कार्य संपादन करते थे, उसी दिन एक You tuber पत्रकार राजकुमार के द्वारा उनके पदस्थापित पशु चिकित्सालय का फोटो खिंचकर उन्हे ब्लैकमेल किया जा रहा था। साथ मे उन्हें भी लगातार तीन महीनों से अलग–अलग Mobile No से ब्लैकमेल किया जा रहा था। यह सब कार्य एक साजिश के तहत डा॰ अमरेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पहाडपुर एवं डा॰ अतुल कुमार श्रीवास्तव, पशु शल्य चिकित्सक, मोतिहारी के द्वारा पैसे देकर You tuber पत्रकार राजकुमार से करवाया जा रहा था। जिस दिन गाली – गलौज की घटना हुई उस दिन दिनांक 06.01.2025 को राजपत्रित अवकाश था एवं राजकुमार के द्वारा पुनः डा॰ कुमार के साथ पशु चिकित्सालय विशुनपुर मटियरवां बंद रहने के संदर्भ में गाली–गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। इसी से आक्रोशित होकर उन्होंने भी You tuber पत्रकार राजकुमार के साथ गाली–गलौज का संवाद किया।

4. डा॰ कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि किसी सरकारी सेवक का वेतन रोके जाने संबंधी राज्य सरकार के किसी नियम में प्रावधान नहीं है। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन रोके जाने का उद्देश्य कर्मियों के कार्य संस्कृति में सुधार लाना होता है और डा॰ कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रत्यक्ष रूप से यही कहा गया है। उक्त से स्पष्ट है कि डा॰ कुमार के द्वारा किसी कर्मी का वेतन रोकना नियम विरूद्ध है।

साथ ही पशुपालन निदेशालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 207 (नि॰) दिनांक 17.06.2022 द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मियों को कार्यभारित करने से पूर्व निदेशक, पशुपालन का पूर्वानुमति आवश्यक रूप से लेने का निदेश सभी क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी को दिया गया था। अगर चतुर्थवर्गीय कर्मियों को कार्यहित में कार्यभारित करना जरूरी ही था तो डा॰ विनोद कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी को कार्यभारित कर्मियों के संबंध में निदेशक, पशुपालन से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

डा॰ कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों के अवलोकनोपरांत पाया गया कि पशु चिकित्सकों के विरूद्ध डा॰ कुमार के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं है लेकिन जाँच पदाधिकारी द्वारा एक ऑडियों कैसेट उपलब्ध कराया गया, जिसके सुनने के उपरांत पाया गया कि डा॰ कुमार द्वारा एक पशुपालक, श्री राज कुमार के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है एवं उनके द्वारा आक्रोशित होकर You tuber पत्रकार राजकुमार के साथ गाली–गलौज का संवाद करने के आरोप को स्वीकार भी किया गया है, जो एक सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल है।

5. उक्त गठित आरोपों व डा॰ कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत डा॰ कुमार के स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया और उक्त कृत्य के लिए उन्हें निन्दन की सजा अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा॰ विनोद कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को आरोप वर्ष 2024–25 के लिए निन्दन की सजा अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 16/2024– ..../ पटना–15, दिनांक–...................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 16/2024– ..../ पटना–15, दिनांक–...................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 16/2024– 374 नि०गो० / पटना–15, दिनांक– 02.09.2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/ डा॰ विनोद कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 02/विभागीय आई॰टी॰ प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

2/9/25

सरकार के संयुक्त सचिव।